भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4809

दिनांक 31.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत झारखंड को निधि आवंटन

4809. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जल जीवन मिशन हर घर नल जल योजना के तहत देश भर में हर घर को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है झारखंड के विभिन्न जिलों विशेषकर बोकारो, गिरिडीह, धनबाद और रामगढ़ जिलों के लिए उक्त योजना के तहत आवंटित कुल धनराशि कितनी है**;**

(ग) जिन घरों में नल के जल की आपूर्ति की जा रही है, उनका राज्य-वार, विशेष रूप से झारखंड में प्रतिशत कितना है**;**

(घ) क्या बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिलों में बड़ी संख्या में ब्लॉक सूखा प्रवण क्षेत्र है और वे जल संकट का सामना कर रहे हैं**;**

(ङ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में किस प्रकार जलापूर्ति उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है**;**

(च) क्या सरकार का उक्त जिलों में नहरों के माध्यम से जल की आपूर्ति करने का विचार है**;** और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का आमेलन करके जल जीवन मिशन (जेजेएम) का क्रियान्वयन कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके। इस मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपए हैं।

इस विभाग द्वारा जिला-वार निधि आबंटन नहीं किया जाता है और इसका ब्यौरा भी नहीं रखा जाता है। तथापि, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (27.03.2022 तक) में झारखंड राज्य के लिए केंद्रीय निधि आबंटन, राज्य द्वारा आहरित निधि और सूचित निधि उपयोग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(धनराशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	**केंद्रीय हिस्सा**					**राज्य हिस्से के तहत व्यय**
	जमाशेष	**आबंटन**	**राज्य द्वारा आहरित निधि**	**कुल उपलब्ध निधि**	**सूचित उपयोग**	
2019-20	75.79	267.69	291.19	366.98	114.58	119.71
2020-21	268.39	572.24	143.06	411.45	286.62	177.73
2021-22	137.93	2,479.88	512.22	650.15	279.83	343.71

स्रोत: जेजेएम, आईएमआईएस

(ग): जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 3.23 करोड़ (17%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। अभी तक पिछले 30 महीनों में, 6.07 करोड़ (31.42%) से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, आज की तारीख के अनुसार, देश में 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 9.31 करोड़ (48.13%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है। आज की तारीख की स्थिति के अनुसार, झारखंड राज्य में 59.23 लाख ग्रामीण परिवारों में से 11.54 लाख (19.47%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार ग्रामीण परिवारों, विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों आदि में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ग्राम-वार स्थिति पब्लिक डॉमेन में भी उपलब्ध है तथा जेजेएम डैशबोर्ड के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(घ) से (छ): चूंकि, पेयजल राज्य का विषय है अत: पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और क्रियान्वयन राज्य करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। अत: भारत सरकार के स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं से जुड़ी व्यक्तिगत परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

झारखंड राज्य सहित सूखा-प्रवण और जल-अल्पता क्षेत्रों/अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों या भूजल स्रोतों पर निर्भरता वाले क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लंबी दूरियों से थोक जल अंतरण और क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना एवं क्रियान्वयन हेतु जेजेएम

के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मनरेगा, एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं (आरएलबी/पीआरआई) हेतु सशर्त अनुदानों, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों, आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों के नवीकरण, आदि जैसे स्रोत पुनर्भरण हेतु प्रावधान किए गए हैं।

विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जलभृतों के पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकारों से मौजूदा नहर नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाने/विस्तार करने और/या नहरों का निर्माण करने का आग्रह किया गया है ताकि बांधों/जलाशयों से अधिशेष बाढ़ जल को तालाबों/झीलों और अन्य जल निकायों में अंतरित किया जा सके तथा मानसून के मौसम के दौरान भूजल का पुनर्भरण भी किया जा सके।

इसके अलावा, जल-अल्पता क्षेत्रों में पड़ने वाले गांवों के लिए, अमूल्य स्वच्छ पानी की बचत करने हेतु, राज्यों को दो पाइपों वाली जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात् एक पाइप से स्वच्छ पानी की आपूर्ति और अन्य पाइप से पेय उपयोग छोड़कर अन्य उपयोगों/बागवानी/शौचालय फ्लश में प्रयोग करने हेतु शोधित ग्रे/अपशिष्ट जल की आपूर्ति के साथ नई जल आपूर्ति योजना की आयोजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को अपने घरों में नलों के आगे जलवाहक (जाली) की सुविधा वाले नलों का अधिक उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे काफी मात्रा में जल की बचत होती है।

इसके अलावा, जल राज्य का विषय होने के नाते जल स्रोतों के संवर्धन, संरक्षण तथा प्रभावी प्रबंधन हेतु उपाय प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए, केंद्र सरकार ने देश में स्थायी भूजल प्रबंधन हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके ब्यौरे निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं:
http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf

*****

अनुबंध

दिनांक 31.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4809 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(28.03.2022 तक)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15.08.2019 तक कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		आज की तारीख तक कुल ग्रामीण	नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवार					नल जल आपूर्ति सुविधा प्राप्त ग्रामीण परिवार	
			संख्या	% में		2019-20	2020-21	2021-22	कुल	% में	संख्या	% में
1.	अंडमान और निकोबार	0.65	0.29	43.92	0.62	-	0.33	-	0.33	53.98	0.62	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	95.66	30.74	32.14	95.17	1.19	12.77	9.10	23.05	24.22	53.80	56.53
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.18	0.23	10.46	2.20	0.13	0.65	0.36	1.15	52.09	1.38	62.43
4.	असम	63.35	1.11	1.76	63.35	0.49	5.07	15.84	21.40	33.78	22.51	35.53
5.	बिहार	1,83.54	3.16	1.72	1,72.21	28.97	1,03.46	20.59	153.01	88.85	1,56.18	90.69
6.	छत्तीसगढ	45.48	3.20	7.03	48.59	0.96	1.51	4.29	6.76	13.91	9.96	20.49
7.	दादरा व नगर हवेली	0.6	0.00	0.00	0.85	-	0.25	0.61	0.85	100.00	0.85	100.00
8.	गोवा	2.63	1.99	75.70	2.63	0.31	0.33	-	0.64	24.30	2.63	100.00
9.	गुजरात	93.03	65.16	70.04	91.77	1.06	10.95	9.18	21.18	23.08	86.35	94.09
10.	हरियाणा	28.94	17.66	61.04	30.97	1.35	7.91	4.04	13.30	42.96	30.97	100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	17.04	7.63	44.76	17.28	1.59	3.79	3.03	8.41	48.66	16.03	92.82
12.	जम्मू एवं कश्मीर	18.17	5.75	31.67	18.35	2.07	2.16	0.62	4.85	26.41	10.60	57.76
13.	झारखंड	54.09	3.45	6.38	59.23	0.95	3.00	4.13	8.08	13.65	11.54	19.47
14.	कर्नाटक	89.61	24.51	27.35	97.92	0.21	3.43	18.80	22.45	22.92	46.96	47.96
15.	केरल	67.15	16.64	24.78	70.69	0.85	4.04	6.28	11.18	15.82	27.82	39.36
16.	लद्दाख	0.44	0.01	3.21	0.43	0.01	0.02	0.09	0.11	26.12	0.13	29.43
17.	मध्य प्रदेश	1,21.24	13.53	11.16	1,22.28	4.19	19.87	10.69	34.74	28.41	48.27	39.48
18.	महाराष्ट्र	1,42.36	48.44	34.03	1,46.09	5.45	37.09	11.66	54.20	37.10	1,02.63	70.26

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15.08.2019 तक कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		आज की तारीख तक कुल ग्रामीण	नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवार					नल जल आपूर्ति सुविधा प्राप्त ग्रामीण परिवार	
			संख्या	% में		2019-20	2020-21	2021-22	कुल	% में	संख्या	% में
19.	मणिपुर	4.52	0.26	5.73	4.52	0.04	1.96	0.68	2.69	59.53	2.95	65.27
20.	मेघालय	5.9	0.05	0.77	5.90	0.02	0.87	1.30	2.19	37.20	2.24	37.98
21.	मिजोरम	1.27	0.09	7.24	1.33	0.16	0.34	0.13	0.63	47.36	0.72	54.27
22.	नागालैंड	3.86	0.14	3.60	3.77	0.02	0.48	0.90	1.40	36.98	1.53	40.66
23.	ओडिशा	83.06	3.11	3.74	88.34	4.37	15.47	17.08	36.92	41.79	40.03	45.31
24.	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.31	1.15	0.06	0.08	0.07	0.21	18.63	1.15	100.00
25.	पंजाब	35.07	16.79	47.86	34.40	0.76	8.18	8.53	17.47	50.79	34.26	99.58
26.	राजस्थान	1,01.32	11.74	11.59	1,05.69	1.02	6.81	5.25	13.08	12.37	24.82	23.48
27.	सिक्किम	1.05	0.70	67.00	1.05	-	0.10	0.08	0.18	17.10	0.88	84.05
28.	तमिलनाडु	1,26.89	21.76	17.15	1,26.89	0.17	16.13	14.83	31.13	24.53	52.89	41.68
29.	तेलंगाना	54.38	15.68	28.84	54.06	20.18	18.20	-	38.38	70.99	54.06	100.00
30.	त्रिपुरा	8.01	0.25	3.06	7.60	0.46	1.42	1.54	3.42	45.00	3.67	48.23
31.	उत्तर प्रदेश	2,63.39	5.16	1.96	2,64.28	4.66	19.16	6.53	30.34	11.48	35.51	13.44
32.	उत्तराखंड	14.62	1.30	8.91	15.18	0.87	4.32	2.56	7.75	51.06	9.06	59.65
33.	पश्चिम बंगाल	1,63.26	2.15	1.31	1,77.23	0.05	12.48	23.08	35.61	20.09	37.76	21.30
	कुल	**18,93.91**	**3,23.62**	**17.07**	**19,32.00**	**82.62**	**3,22.62**	**2,01.86**	**6,07.10**	**31.42**	**9,30.73**	**48.17**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एनआर: सूचित नहीं एचएच: परिवार